भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 355
03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन

355. श्री एस.सी. उदासी:
श्री अरुण साव:
श्री रंजीतसिन्ह हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री हाजी फजलुर रहमान:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज की तारीख तक कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने कार्ड जारी किए गए हैं;
(ख) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत लामार्थियों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि जारी की गई;
(घ) क्या यह सच है कि निजी अस्पतालों की उदासीनता के कारण लोगों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने और इस योजना के अंतर्गत और अधिक निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी किए गए आयुष्मान कार्ड और निर्गत निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। स्कीम के तहत पात्रता मानदंडों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, उपचार पैकेज दरों का संशोधन किया गया है, दावों के निपटान में तेजी लाई गई है, अस्पतालों का क्षमता निर्माण किया गया है और अस्पतालों के मामलों के समाधान के लिए अस्पताल विशिष्ट टोल-फ्री नंबर (14413) शुरू किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कमियों वाले क्षेत्रों हेतु अस्पताल पैनलबद्धता मानदंडों में बदलाव करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है ताकि स्कीम के तहत निजी अस्पतालों के नेटवर्क को बढाया जा सके।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत जारी किए गए आयुष्मान कार्ड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए आयुष्मान कार्ड की संख्या	निर्गत निधियां (करोड़ रुपये में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40,517	2.59
आंध्र प्रदेश	99,53,086	1527.52
अरुणाचल प्रदेश	78,732	4.75
असम	29,35,499	446.45
बिहार	77,47,450	346.29
चंडीगढ़	1,28,455	12.61
छत्तीसगढ़	1,62,59,747	940.16
दादरा और नगर हवेली व दमन दीव	4,28,395	15.02
गोवा	26,678	2.32
गुजरात	1,71,44,347	1198.03
हरियाणा	76,07,163	390.87
हिमाचल प्रदेश	11,29,742	133.13
जम्मू और कश्मीर	80,83,290	194.05
झारखंड	99,31,436	404.97
कर्नाटक	1,27,04,414	1322.10
केरल	71,08,118	545.96
लद्दाख	1,28,213	4.05
लक्षद्वीप	25,892	0.46
मध्य प्रदेश	3,49,00,649	1191.98
महाराष्ट्र	87,88,181	1592.91
मणिपुर	4,77,121	84.85
मेघालय	17,72,160	139.30
मिजोरम	4,33,130	85.68
नागालैंड	3,85,952	62.18
पुदुचेरी	4,05,294	8.36
पंजाब	79,83,559	261.83
राजस्थान	85,30,338	923.61
सिक्किम	52,132	5.88
तमिलनाडु	18,20,901	1530.49
तेलंगाना	5,35,674	236.45
त्रिपुरा	13,10,364	112.69
उत्तर प्रदेश	2,49,52,099	946.87
उत्तराखंड	49,65,241	191.27

नोट: राज्य आईटी प्रणाली का उपयोग करके अतिरिक्त 3 करोड़ लाभार्थी सत्यापित।

एसईसीसी 2011 के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई के तहत पात्रता के लिए मानदंडों की विस्तृत सूची

स्वत: रूप से शामिल:

1. आश्रय के बिना परिवार
2. निराश्रित / भिक्षा पर रहने वाले
3. हाथ से मैला ढोने वाले परिवार
4. आदिम जनजातीय समूह
5. कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर

ग्रामीण क्षेत्र में वंचन मानदंड:

डी1: कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा
डी2: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं
डी3: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य बिना महिला नेतृत्व वाले परिवार
डी4: अक्षम सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं
डी5: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार
डी7: भूमिहीन परिवार मैनुअल नैमित्तिक श्रम से अपनी आय का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं

शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक मानदंड:

1) कूड़ा बीनने वाला
2) भिखारी
3) घरेलू कार्यकर्ता
4) स्ट्रीट वेंडर / मोची / हॉकर / सड़कों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता
5) निर्माण श्रमिक/प्लंबर/मेसन/श्रम/पेंटर/वेल्डर/सुरक्षा गार्ड/कुली और अन्य हेड-लोड श्रमिक
6) स्वीपर / सफाई कर्मचारी / माली
7) घर आधारित श्रमिक / कारीगर / हस्तशिल्प कार्यकर्ता / दर्जी
8) परिवहन कार्यकर्ता / ड्राइवर / कंडक्टर / ड्राइवर और कंडक्टर के हेल्पर/ कार्ट चालक / रिक्शा चालक
9) दुकान में कार्य करने वाले कार्यकर्ता/ सहायक / छोटे प्रतिष्ठान में चपरासी/हेल्पर/ डिलीवरी सहायक / परिचर / वेटर
10) इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक / असेंबलर / मरम्मत करने वाले कार्यकर्ता
11) वाशर-मैन / चौकीदार

*****